

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु

क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/चूरु/संस्था-अ/प्रबोधक वरिष्ठता/2021/279

दिनांक: 29.01.2021

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

समग्र शिक्षा अभियान, चूरु/रतनगढ़/राजगढ़/

—: अति आवश्यक :—

सरदारशहर/सुजानगढ़/तारानगर/बीदासर

विषय:—प्रबोधक को वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:—शिविरा/प्रारं/शिसंस्था/एफ-3/व.प्रबोधक के पद पर पदोन्नति/2018

दिनांक 15.11.2021 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जिशिअ/प्राशि/

चूरु/संस्था-अ/प्रबोधक वरिष्ठता/2021/176 दिनांक 16.11.2021 एवं

दिनांक 21.01.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि श्रीमान् निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 21.01.2022 की अनुपालना में प्रबोधक को वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति (डीपीसी) की प्रक्रिया सम्पादित की जानी है। प्रबोधक से वरिष्ठ प्रबोधक बनने वाले कार्मिकों की अस्थाई सूची संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त विवरण का मिलान करें यदि उक्त सूची में कोई आपत्ति हो तो तत्काल प्रमाण सहित सूचित करें। साथ ही निम्नांकित सूचना सहित दिनांक 03.02.2022 तक वाहक स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित करें। सूचना के अभाव में यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति में अवरुद्ध आता है तो संबंधित कार्यालय की जिम्मेवार होगा।

01. शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता की अंक तालिका स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करें।

02. सन्तान संबंधित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में।

03. विभागीय जॉच प्रमाण-पत्र संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रति।

04. 7(सात) वर्षों की एपीआर।

05. जाति प्रमाण-पत्र।

06. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (कार्मिक विभाग का पत्रांक प-14(36) कार्मिक/क-2/2007/पार्ट-I, जयपुर दिनांक 01.12.2021 के निर्देशानुसार)

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)

प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु

क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/चूरु/संस्था-अ/प्रबोधक वरिष्ठता/2021/279

दिनांक: 29.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. श्रीमान् निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चूरु।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरु संभाग चूरु।
4. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरु।
5. संबंधित पीईईओ को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. कार्यालय पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)

प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु